NATIONWIDE CHILDREN'S
When your child needs a hospital, everything matters.℠

रोगी अकाउंट्स - अस्पताल संबंधी बिलिंग
नीतियाँ और कार्यपद्धतियाँ (HINDI)

नीति शीर्षक: **वित्तीय सहायता**	प्रभावी तिथि 01/01/2016
खंड: रोगी वित्तीय सेवाएँ	संशोधित तिथि: 17/4/2017, 4/12/2017, 7/3/2019, 15/10/2019, 19/11/2019, 1/1/2021

उद्देश्य और दायरा:

इस नीति का उद्देश्य नेशनवाइड चिल्ड्रेन्स हॉस्पिटल (नेशनवाइड चिल्ड्रेन्स) और उससे संबद्ध इकाइयों (संस्थानों), जिन्हें धन की आवश्यकता है, के रोगियों को वित्तीय सहायता का निर्धारण करने के लिए मानक कार्यविधियों को स्थापित करना है। यह नीति रोगी संबंधी लेखा विभाग के कर्मचारियों, अस्पताल के अन्य कर्मियों, और एक्सटर्नल वेंडर्स (बाहरी विक्रेताओं) के प्रतिनिधियों के लिए एक प्रक्रिया बताती है, जिसके जरिए वे उन रोगियों और परिवारों की पहचान कर सकें, जो निःशुल्क या रियायती देखभाल के लिए पात्र हैं। क्या कोई व्यक्ति वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र है, और नेशनवाइड चिल्ड्रेन्स के असामान्य वसूली संबंधी कार्यों (एक्स्ट्राऑर्डिनरी कलेक्शन एक्शंस) में लगने से पहले उचित कार्रवाइयाँ की गई हैं, इसका निर्णय करने का अंतिम प्राधिकार नेशनवाइड चिल्ड्रेन्स के रोगी संबंधी लेखा विभाग को है। वित्तीय सहायता के लिए पात्रता जाति (नस्ल), वर्ण, पंथ, जातीयता, राष्ट्रीय मूल, आयु, लिंग, यौन अभिरुचि, लैंगिक पहचान, धर्म, या शारीरिक अक्षमता को महत्व दिए बिना सभी रोगियों पर लागू होती है।

इस नीति के दायरे में आने वाली सेवाओं में वे सभी आपातकालीन और चिकित्सीय रूप से आवश्यक अन्य सेवाएँ शामिल हैं, जिन्हें नेशनवाइड चिल्ड्रेन्स और उससे सम्बद्ध इकाइयों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

नेशनवाइड चिल्ड्रेन्स व्यक्ति-विशेष को आपातकालीन चिकित्सीय स्थितियों के लिए, बिना भेदभाव के, इस बात को महत्व दिए बिना देखभाल सेवा उपलब्ध कराएगा कि वे वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं या नहीं। नेशनवाइड चिल्ड्रेन्स मेडिकल स्क्रीनिंग परीक्षणों और रोगी की स्थिति को स्थिर करने वाली चिकित्सा उपलब्ध करा कर, एवं औचित्य होने पर, किसी व्यक्ति को किसी अन्य फैसिलिटी (सुविधा केंद्र) में भेज या स्थानांतरित कर और 42 CFR 482.55 (या किसी परवर्ती विनियमन) के अनुरूप आपातकालीन सेवाएँ उपलब्ध करा कर आपातकालीन मेडिकल चिकित्सा और श्रमिक अधिनियम (EMTALA) का अनुपालन करेगा। नेशनवाइड चिल्ड्रेन्स ऐसे किसी भी कार्य को निषेधित करता है, जो लोगों को आपातकालीन चिकित्सा प्राप्त करने के लिए हतोत्साहित करता है, जैसे कि आपातकालीन विभाग के रोगियों से आपातकालीन चिकित्सीय स्थितियों के लिए चिकित्सा प्राप्त करने से पहले भुगतान की माँग करने के द्वारा या ऋण की उगाही की ऐसी गतिविधियों को अनुमति देने के द्वारा, जो बिना भेदभाव के आपातकालीन चिकित्सा की व्यवस्था में हस्तक्षेप करती हैं।

परिभाषाएँ:

<u>सम्बद्ध इकाइयाँ</u> – नेशनवाइड चिल्ड्रेन्स हॉस्पिटल के स्वामित्व वाली वे सम्बद्ध इकाइयाँ, जो अस्पताल में आपातकालीन और चिकित्सीय रूप से आवश्यक अन्य देखभाल सेवा उपलब्ध कराती हैं, इनमें चिल्ड्रेन्स एनीस्थीसिया एसोसिएट्स, चिल्ड्रेन्स रेडियोलॉजिकल इंस्टिट्यूट, चिल्ड्रेन्स सर्जिकल एसोसिएट्स, पीडियाट्रिक एकैडमिक एसोसिएशन, और पीडियाट्रिक पैथोलॉजी एसोसिएट्स ऑफ़ कोलंबस शामिल हैं। यद्यपि चिल्ड्रेन्स कम्यूनिटी प्रैक्टिसेज़ रोगी को अस्पताल में देखभाल उपलब्ध नहीं कराती है, लेकिन उसका स्वामित्व नेशनवाइड चिल्ड्रेन्स हॉस्पिटल के पास है और वह इस नीति के अनुरूप वित्तीय सहायता देती है।
<u>आमतौर पर बिल बनाई जाने वाली राशियाँ (AGB)</u> – वे राशियाँ जिनका बिल नेशनवाइड चिल्ड्रेन्स द्वारा आमतौर पर बीमा वाले रोगियों के लिए बनाया जाता है।
<u>बाहरी वेंडर्स</u> – वे कंपनियाँ जिन्हें बिल बनाने और वसूली करने के लिए एजेंट के तौर पर नियुक्त किया जाता है।

असामान्य वसूली संबंधी कार्यों (एक्स्ट्राऑर्डिनरी कलेक्शन एक्शंस) – 26 CFR 1.501(r)-6(b) (या किसी परवर्ती विनियम) में बताई गई ऐसी कार्रवाइयाँ, जो नेशनवाइड चिल्ड्रेन्स ने इस वित्तीय सहायता नीति के अंतर्गत कवर की गई देखभाल के बिल का भुगतान प्राप्त करने के संबंध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध कीं।
परिवार का आकार – इसमें रोगी, रोगी की पत्नी/पति, इसे महत्व दिए बिना कि पति/पत्नी घर में रहता/रहती है अथवा नहीं, रोगी के 18 वर्ष से कम आयु के घर में रहने वाले सभी प्राकृतिक या गोद लिए हुए बच्चे शामिल होंगे। यदि रोगी की आयु 18 वर्ष से कम है, तो "परिवार" में, रोगी, रोगी के प्राकृतिक या अंगीकृत माता/पिता (माता-पिता) (इसे महत्व दिए बिना कि वे घर में रहते हैं या नहीं) और माता/पिता (माता और पिता) के प्राकृतिक या गोद लिए हुए 18 साल से कम उम्र के वे बच्चे, जो घर में रहते हैं, शामिल होंगे।
FAP – यह वित्तीय सहायता नीति।
संघीय निर्धनता स्तर (FPL) – अमेरिकी सरकार द्वारा निर्धारित माप जो निर्धनता की सबसे निचली सीमा बताने के लिए वार्षिक आय और परिवार के आकार पर आधारित है।
सकल शुल्क – चिकित्सीय देखभाल के लिए लिया गया शुल्क।
सकल आय – कोई कटौती किए जाने से पहले की कुल आय।
चिकित्सकीय रूप से आवश्यक देखभाल – वे स्वास्थ्य-देखभाल सेवाएँ या आपूर्तियाँ जो किसी बीमारी, चोट, स्वास्थ्य की स्थिति, रोग, या उसके लक्षणों को रोकने, उनका निदान करने या उनकी चिकित्सा करने के लिए आवश्यक हैं और जो दवा के स्वीकार्य मानदंडों पर खरी उतरती हैं।
रोगी का दायित्व – वह राशि जिसके लिए कोई व्यक्ति सभी बीमा (इनमें व्यापारिक और सरकारी भुगतानकर्ता शामिल हैं) भुगतानों, कटौतियों, और छूटों को किसी रोगी के बिल पर लागू किए जाने के बाद उत्तरदायी होता है।

निर्देश:

पात्रता मानदंड

कोई भी ऐसा रोगी, जो नेशनवाइड चिल्ड्रेन्स से आपातकालीन या चिकित्सकीय दृष्टि से आवश्यक अन्य देखभाल सेवा प्राप्त कर रहा हो या प्राप्त करना चाह रहा हो, वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकता है; हालाँकि, यदि रोगी गैर-आपातकालीन देखभाल सेवा चाहता है, तब पात्रता का आकलन करने के लिए प्रयुक्त मानदंड इस आधार पर भिन्न हो सकते हैं, कि रोगी कहाँ निवास कर रहा है।

वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध करने वाले ओहायो निवासियों को पहले उपलब्ध सरकारी सहायता के लिए आवेदन अवश्य करना चाहिए, जिसमें ओहायो मेडिकेड (हेल्दी स्टार्ट एंड हेल्दी फैमिलीज़), ओहायो अस्पताल देखभाल आश्वासन कार्यक्रम (HCAP), और अल्कोहल, ड्रग और मानसिक स्वास्थ्य (ADAMH) बोर्ड सहायता शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। ओहायो के जो निवासी सामाजिक सुरक्षा और मेडिकेड करों से छूट-प्राप्त हैं, उन्हें इस अपेक्षा से छूट पाने के लिए पूरा किया गया फ़ॉर्म 4029 "सामाजिक सुरक्षा और मेडिकेयर करों से छूट तथा लाभों का अधित्याग" को अवश्य प्रस्तुत करना चाहिए। वे रोगी, जो ओहायो के निवासी हैं लेकिन इन कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभों को प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं हैं, और वे रोगी, जो ओहायो के ऐसे निवासी नहीं हैं, जो नेशनवाइड चिल्ड्रेन्स से आपातकालीन चिकित्सीय देखभाल प्राप्त करते हैं, वे नीचे बताए गए तरीकों से कुल सकल आय और परिवार के आकार के आधार पर वित्तीय सहायता के लिए पात्र हो सकते हैं।

- संघीय गरीबी स्तर (FPL) से 200% या उससे कम की आय को रोगी उत्तरदायित्व के 100% पर बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा।
- FPL से 201% और 250% के बीच की आय को रोगी उत्तरदायित्व के 80% पर बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा।
- FPL से 251% और 300% के बीच की आय को रोगी उत्तरदायित्व के 60% पर बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा।
- FPL से 301% और 400% के बीच की आय को रोगी उत्तरदायित्व के 45% पर बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा।

ओहायो के निवासी जिनकी पारिवारिक आय FPL से 200% से अधिक लेकिन FPL से 450% से कम है, जिनके नेशनवाइड चिल्ड्रेन्स के बिल परिवार की वार्षिक घरेलू आय के 20% से अधिक हैं, इस नीति के उद्देश्यों के लिए चिकित्सीय दृष्टि से निर्धन माने जाएँगे। चिकित्सीय दृष्टि से निर्धन परिवार के रोगी उत्तरदायित्व में अधिक छूट के लिए पात्र होंगे और वह राशि इतनी होगी कि नेशनवाइड चिल्ड्रेन्स के सभी बिलों के वास्ते परिवार का रोगी संबंधी उत्तरदायित्व परिवार की वार्षिक घरेलू आय के उस प्रतिशत (%) के बराबर होगा, जैसे नीचे बताया गया है:

- संघीय गरीबी स्तर (FPL) से 200% या उससे कम की आय को रोगी उत्तरदायित्व के 100% पर बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा।
- FPL से 201% और 250% के बीच की आय वाले परिवार की वार्षिक घरेलू आय की 5% के बराबर की बकाया राशि को बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा।
- FPL से 251% और 300% के बीच की आय वाले परिवार की वार्षिक घरेलू आय की 7% के बराबर की बकाया राशि को बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा।
- FPL से 301% और 450% के बीच की आय वाले परिवार की वार्षिक घरेलू आय की 10% के बराबर की बकाया राशि को बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा।

यू.एस. के उन लोगों को जो ओहायो के निवासी नहीं हैं, लेकिन गैर-आपातकालीन चिकित्सीय देखभाल के लिए अनुरोध कर रहे हैं, इस प्रकार की गैर-आपातकालीन देखभाल सेवा प्राप्त करने से पहले वित्तीय सहायता के लिए पूर्व-अनुमोदित अवश्य होना चाहिए। पूर्व-अनुमोदन प्रक्रिया व्यक्ति से रोगी के निवास वाले राज्य में किसी स्वास्थ्य देखभाल फैसिलिटी (सुविधा केंद्र) के बजाय नेशनवाइड चिल्ड्रेन्स में सेवाएँ प्राप्त करने का चिकित्सीय औचित्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगी। नेशनवाइड चिल्ड्रेन्स द्वारा इस प्रकार के औचित्य की समीक्षा की जाएगी और नेशनवाइड चिल्ड्रेन्स द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार जिन रोगियों ने उपयुक्त चिकित्सीय औचित्य प्रस्तुत किया होगा, वे कुल समग्र आय और परिवार की आय के आधार पर नीचे बताए गए तरीके से पात्र हो सकते हैं:

- संघीय गरीबी स्तर (FPL) से 200% या उससे कम की आय को रोगी उत्तरदायित्व के 100% पर बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा।
- FPL से 201% और 250% के बीच की आय को रोगी उत्तरदायित्व के 80% पर बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा।
- FPL से 251% और 300% के बीच की आय को रोगी उत्तरदायित्व के 60% पर बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा।
- FPL से 301% और 400% के बीच की आय को रोगी उत्तरदायित्व के 45% पर बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा।

गैर-आपातकालीन देखभाल के लिए वित्तीय सहायता का अनुरोध करने वाले उन लोगों को, जो यू.एस. के निवासी नहीं हैं, इस प्रकार की गैर-आपातकालीन देखभाल सेवा प्राप्त करने से पहले वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए नेशनवाइड चिल्ड्रेन्स की नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दान प्राप्त करने वाले रोगियों संबंधी कार्यविधियों के अनुरूप पूर्व-अनुमोदित अवश्य होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय रोगियों के लिए बनी नेशनवाइड चिल्ड्रेन्स की परिचालन समिति, अनेक मानदंडों के आधार पर किसी अंतर्राष्ट्रीय रोगी के दान के जरिए की जाने वाली देखभाल के लिए पात्रता का निर्धारण करती है, जिसमें वह चिकित्सीय हस्तक्षेप, जिसकी आवश्यकता है, हस्तक्षेप के जरिए अंतर्निहित चिकित्सीय स्थिति (बीमारी) के सफलतापूर्वक समाप्त होने और हस्तक्षेप के बाद उचित ढंग से प्रबंधित किए जाने की संभावना, क्या इस प्रकार का हस्तक्षेप उपलब्ध कराने के लिए केवल नेशनवाइड चिल्ड्रेन्स ही सक्षम है, रोगी के निवास वाले देश के भीतर इस प्रकार की सेवाओं की उपलब्धता, बजट संबंधी प्रतिबंध, और ऐसे अन्य मानदंड, जिन्हें परिचालन समिति यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त मान कर निर्धारित कर सकती है, कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए नेशनवाइड के दान के जरिए देखभाल वाले संसाधनों का सबसे अधिक कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया है, शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय रोगियों के लिए दान वाली देखभाल (चैरिटी केयर) की उपलब्धता के बारे में जानकारी नेशनवाइड चिल्ड्रेन्स स्वागत केन्द्र में संपर्क के जरिए उपलब्ध है।

मेडिकेड प्राप्त करने वाले वे लोग जो चिकित्सकीय दृष्टि से आवश्यक ऐसी देखभाल सेवा प्राप्त करते हैं, जो मेडिकेड द्वारा कवर नहीं की जाती हैं, उनकी इस प्रकार की चिकित्सकीय दृष्टि से आवश्यक देखभाल के लिए रोगी उत्तरदायित्व का 100% स्वचालित रूप से बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा। इन परिस्थितियों में वित्तीय सहायता के लिए आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी।

ऐसे परिवार जो नेशनवाइड चिल्ड्रेन्स रोगी लेखा विभाग को एक पूर्ण IRS फॉर्म 4029 या नेशनवाइड चिल्ड्रेन्स के लिए संतोषजनक ऐसे अन्य दस्तावेज़ उपलब्ध कराते हैं, जो पुष्टि करते हैं कि परिवार ने अपनी धार्मिक संबद्धता के कारण सरकारी लाभों के अधिकार को त्याग दिया है, वे रोगी उत्तरदायित्व के लिए उसके बराबर छूट पाने के पात्र होंगे जो इस FAP के तहत उन लोगों को उपलब्ध करायी गयी जिनकी आय FPL के 301% और 400% के बीच है। इन परिस्थितियों में वित्तीय सहायता के लिए आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी।

"बेघर आश्रय" (“Homeless Shelter”) के पते वाले परिवार रोगी उत्तरदायित्व की 100% छूट के पात्र होंगे। इन परिस्थितियों में वित्तीय सहायता के लिए आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी।

इस नीति के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने की पात्रता का निर्णय करने का अंतिम प्राधिकार केवल नेशनवाइड चिल्ड्रेन्स के लेखा विभाग के पास है।

<u>रोगी से लिए जाने वाले शुल्क की राशि की गणना करने का आधार</u>

इस FAP के अंतर्गत आपातकालीन और चिकित्सीय दृष्टि से आवश्यक देखभाल के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की पात्रता रखने वाले रोगियों से लिए जाने वाले शुल्क की राशियाँ AGB से अधिक नहीं होंगी। नेशनवाइड चिल्ड्रेन्स AGB की गणना संघीय विनियमों में जैसा निर्धारित किया गया है, उसी के अनुसार, “पीछे देखो” विधि से करता है, जो 12 महीनों की अवधि के दौरान मेडिकेयर द्वारा सेवा के लिए शुल्क और सभी निजी स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा अनुमत सभी दावों को उन दावों के लिए नेशनवाइड चिल्ड्रेन्स के सकल शुल्कों से विभाजित किए जाने पर आधारित है। नेशनवाइड चिल्ड्रेन्स अपनी AGB की गणना प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी को उस 30 सितंबर को, जो उस 1 जनवरी से ठीक पहले आता है, समाप्त होने वाली 12 महीने की अवधि से प्राप्त डेटा का उपयोग करके अद्यतित करता है। कैलेंडर वर्ष 2021 के लिए, AGB 80.1% के बराबर है।

वित्तीय सहायता के लिए पात्र किसी व्यक्ति से केवल वह राशि वसूली जाती है जिसके लिए वह सभी कटौतियों और छूटों (जिनमें FAP के तहत उपलब्ध छूट शामिल हैं) को लागू किए जाने, और बीमाकर्ताओं (वाणिज्यिक और सरकारी दोनों, भुगतानकर्ताओं सहित) द्वारा प्रतिपूर्ति की गई किसी भी राशि को घटाए जाने के बाद, भुगतान करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है।

वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने की विधियाँ

वित्तीय सहायता के लिए विचार किए जाने के वास्ते व्यक्ति को वित्तीय सहायता के लिए नेशनवाइड चिल्ड्रेन्स के रोगी सम्बंधी लेखा विभाग में अवश्य आवेदन करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति, जो इस नीति के तहत 100% छूट स्तर पर वित्तीय सहायता प्राप्त करना चाहते हैं (यानी ऐसे व्यक्ति जिनके परिवार की आय FPL से 200% या उससे कम है) को वित्तीय सहायता आवेदन अवश्य पूरा करना चाहिए और वित्तीय सहायता आवेदन में सूचीबद्ध जानकारी और दस्तावेज़ उपलब्ध कराना चाहिए। अन्य सभी आवेदक रोगी संबंधी लेखा विभाग को आवश्यक जानकारी फ़ोन के माध्यम से उपलब्ध करा सकते हैं, कागज़ी आवेदन की आवश्यकत नहीं होगी। नेशनवाइड चिल्ड्रेन्स पे चेक्स की प्रतियों, W-2 (वेतन और कर संबंधी स्टेटमेंट), और इनकम टैक्स रिटर्न्स के लिए अनुरोध करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

वित्तीय सहायता आवेदन (चाहे लिखित रूप में हो या टेलीफ़ोन के माध्यम से, जैसा कि ऊपर बताया गया है) अवश्य ही नीचे बताए गए ढंग से किया जाना चाहिए:

- FPL से 100% या उससे नीचे के रोगियों के लिए आउट पेशेंट हॉस्पिटल सर्विसेज़ (बाहर के रोगियों के लिए अस्पताल सेवाएँ) HCAP द्वारा कवर की जाती हैं और, इस प्रकार, सेवा की प्रारंभिक तिथि से हर 90 दिनों में एक नए आवेदन की आवश्यकता होती है। बाहर के रोगियों के लिए अस्पताल सेवाएँ अन्य सभी रोगियों से सेवा की प्रारंभिक तिथि के बाद हर 180 दिन पर नए आवेदन की अपेक्षा करती है। HCAP के अंतर्गत अशक्तता सहायता (DA) कार्यक्रम या उसके परवर्ती कार्यक्रम के प्राप्तकर्ता को नया आवेदनपत्र मासिक आधार पर अवश्य प्रस्तुत करना चाहिए।
- यदि रोगी को अस्पताल से छुट्टी दिए जाने के बाद 45 दिन के अंदर उसी बीमारी के लिए भर्ती नहीं किया गया है, तो प्रत्येक अंतरंग रोगी (इनपेशंट) की भर्ती उसके स्वयं के वित्तीय सहायता आवेदन पर की जानी चाहिए। बाद में की जाने वाली दुबारा भर्ती पहले वाले आवेदन पर की जा सकती है, लेकिन यदि 45 दिनों के अंदर हो और किसी सम्बंधित बीमारी के लिए हो। बाहरी रोगियों वाले (आउट पेशंट) अकाउंट्स को किसी ऐसे आवेदन के साथ जोड़ा जा सकता है, जिसका आंतरिक रोगियों वाला (इनपेशंट) अकाउंट हो, लेकिन किसी इनपेशंट विज़िट को किसी ऐसे आवेदन के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है, जिसके आउटपेशंट अकाउंट्स हों।

नेशनवाइड चिल्ड्रेन्स यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई व्यक्ति इस नीति के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए योग्य है, FAP पात्रता के पूर्वनिर्धारणों का प्रयोग नहीं करता है।

वित्तीय सहायता के लिए अनुमानित पात्रता
नेशनवाइड चिल्ड्रेन्स हॉस्पिटल FAP के अंतर्गत उपलब्ध सर्वाधिक उदार सहायता के लिए FAP-पात्रता का आकलन करने के लिए रोगी संबंधी जानकारी की समीक्षा कराने के वास्ते किसी तृतीय पक्ष का उपयोग कर सकता है। यह समीक्षा और विश्लेषण स्वास्थ्य देखभाल उदयोग द्वारा मान्यताप्राप्त पूर्वानुमानात्मक मॉडल का प्रयोग करता है। इस प्रकार की समीक्षाओं का उपयोग FAP के अंतर्गत उपलब्ध सर्वाधिक उदार सहायता से कम स्तर के लिए अनुमानात्मक पात्रता का निर्धारण करने के लिए नहीं किया जाएगा।

भुगतान न किए जाने की स्थिति में की जा सकने वाली कार्रवाइयाँ

असामान्य वसूली संबंधी कार्यों (एक्स्ट्राऑर्डिनरी कलेक्शन एक्शंस) से सम्बद्ध लगने से पहले नेशनवाइड चिल्ड्रेन्स कर्ज की वसूली करने और इसे निर्धारित करने के लिए उचित प्रयास करेगा कि क्या व्यक्ति-विशेष FAP के लिए पात्र है। ऐसे उचित प्रयासों में अस्पताल से छुट्टी दिए जाने के बाद पहले 120 दिनों के दौरान नीचे बताए गए पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उत्तरदायी व्यक्ति को स्टेटमेंट्स भेजना और फ़ोन कॉल करना शामिल है। नेशनवाइड चिल्ड्रेन्स कर्ज वसूली में सहायता के लिए किसी बाहरी वेंडर की सेवाओं का उपयोग कर सकता है।

0 - 30 दिन	पहला बिलिंग स्टेटमेंट, इसकी लिखित नोटिस कि वित्तीय सहायता उपलब्ध है, FAP आवेदन प्रपत्र और व्यक्ति-विशेष FAP आवेदन प्रक्रिया के जरिए किस प्रकार सहायता प्राप्त कर सकता है, के साथ भेजा गया।
31 - 60 दिन	दूसरा बिलिंग स्टेटमेंट, सरल भाषा में FAP के सारांश और इसकी नोटिस के साथ कि यदि अस्पताल से छुट्टी दिए जाने के बाद पहले बिलिंग स्टेटमेंट के 365 दिनों के अंदर भुगतान न किए गए अकाउंट का भुगतान नहीं किया जाता है, तो नेशनवाइड चिल्ड्रेन्स ऐसी राशियों की सूचना एक क्रेडिट ब्यूरो को देने का इरादा रखता है, के साथ भेजा गया। इसके अलावा, व्यक्ति-विशेष को नेशनवाइड चिल्ड्रेन्स की FAP और व्यक्ति-विशेष FAP आवेदन प्रक्रिया के जरिए कैसे सहायता प्राप्त कर सकता है, इस बारे में मौखिक रूप से सूचित करने के लिए एक फ़ोन कॉल की गई।
61 - 90 दिन	तीसरा बिलिंग स्टेटमेंट, सरल भाषा में FAP के सारांश और इसकी नोटिस के साथ कि यदि अस्पताल से छुट्टी दिए जाने के बाद पहले बिलिंग स्टेटमेंट के 365 दिनों के अंदर भुगतान न किए गए अकाउंट का भुगतान नहीं

	किया जाता है, तो नेशनवाइड चिल्ड्रेन्स ऐसी राशियों की सूचना एक क्रेडिट ब्यूरो को देने का इरादा रखता है, के साथ भेजा गया। इसके अलावा, व्यक्ति-विशेष को नेशनवाइड चिल्ड्रेन्स की FAP और व्यक्ति-विशेष FAP आवेदन प्रक्रिया के जरिए कैसे सहायता प्राप्त कर सकता है, इस बारे में मौखिक रूप से सूचित करने के लिए एक फ़ोन कॉल की गई।
91 - 120 दिन	चौथा बिलिंग स्टेटमेंट, सरल भाषा में FAP के सारांश और इसकी नोटिस के साथ कि यदि अस्पताल से छुट्टी दिए जाने के बाद पहले बिलिंग स्टेटमेंट के 365 दिनों के अंदर भुगतान न किए गए अकाउंट का भुगतान नहीं किया जाता है, तो नेशनवाइड चिल्ड्रेन्स ऐसी राशियों की सूचना एक क्रेडिट ब्यूरो को देने का इरादा रखता है, के साथ भेजा गया। इसके अलावा, नेशनवाइड चिल्ड्रेन्स की FAP और व्यक्ति-विशेष FAP आवेदन के जरिए कैसे सहायता प्राप्त कर सकता है, इस बारे में मौखिक रूप से सूचित करने के लिए व्यक्ति-विशेष को दो फ़ोन कॉल की गईं।

सारे बिलिंग स्टेटमेंट्स में इसकी लिखित नोटिस के अलावा कि वित्तीय सहायता उपलब्ध है, FAP आवेदन फ़ॉर्म, और इस बारे में जानकारी कि व्यक्ति-विशेष FAP आवेदन प्रक्रिया से कैसे सहायता प्राप्त कर सकता है, वेबसाइट का सीधा पता शामिल होगा जहाँ से FAP की प्रतियाँ, FAP आवेदन प्रपत्र, और सरल भाषा में FAP का सारांश प्राप्त किया जा सकता है।

नेशनवाइड चिल्ड्रेन्स प्रारंभिक बिलिंग स्टेटमेंट तिथि के 1 वर्ष बाद भुगतान न किए गए अकाउंट्स की सूचना क्रेडिट ब्यूरो को दे सकता है। यदि व्यक्ति-विशेष के बिलों में देखभाल की अनेक घटनाओं को कवर करने के लिए योग किया गया है तो योग में शामिल की गई सबसे हाल की घटना के लिए किसी भुगतान न किए गए अकाउंट की सूचना क्रेडिट ब्यूरो को अस्पताल से छुट्टी दिए जाने के बाद के पहले बिलिंग स्टेटमेंट से कम से कम 120 दिन बाद तक नहीं दी जाएगी।

यदि कोई व्यक्ति-विशेष आवेदन की अवधि (यानी अस्पताल से छुट्टी दिए जाने के बाद के पहले बिलिंग स्टेटमेंट के बाद के 240 दिन) में कोई अधूरा FAP आवेदन प्रस्तुत करता है, तो नेशनवाइड चिल्ड्रेन्स उस व्यक्ति को लिखित नोटिस देगा जो FAP या FAP आवेदन फ़ॉर्म के अंतर्गत अपेक्षित उस अतिरिक्त जानकारी और/या प्रलेख के बारे में बताती है जिसे FAP फ़ॉर्म को पूरा करने के लिए अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए, साथ ही नेशनवाइड चिल्ड्रेन्स के उस विभाग के लिए संपर्क सूचना देगा जो FAP के बारे में जानकारी दे सकता है और जो आवेदन प्रक्रिया में सहायता उपलब्ध करा सकता है। नेशनवाइड चिल्ड्रेन्स किसी भी असामान्य वसूली कार्रवाई को तब तक स्थगित रखेगा (और, यदि लागू हो, तो अपने बाहरी वेंडर्स को इस प्रकार के प्रयास स्थगित करने के लिए सूचित करेगा) जब तक नेशनवाइड चिल्ड्रेन्स यह निर्णय नहीं कर लेता कि क्या व्यक्ति-विशेष FAP के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए पात्र है या व्यक्ति-विशेष अतिरिक्त जानकारी और/या प्रलेख के लिए किए गए अनुरोधों का उचित समयावधि में उत्तर देने में असफल रहता है।

आवेदन अवधि के दौरान पूरा आवेदन प्राप्त होने पर, नेशनवाइड चिल्ड्रेन्स इस बारे में निर्णय करेगा कि क्या व्यक्ति-विशेष FAP के अंतर्गत देखभाल के लिए पात्र है और व्यक्ति-विशेष को पात्रता निर्धारण (यदि लागू हो, तो इसमें वह सहायता भी शामिल होगी जिसके लिए व्यक्ति-विशेष पात्र है) और निर्धारण के आधार के बारे में लिखित रूप में सूचित करेगा। यदि व्यक्ति-विशेष के लिए निर्णय किया गया है कि वह निःशुल्क देखभाल के अलावा किसी सहायता के लिए पात्र है, तो नेशनवाइड चिल्ड्रेन्स:

- व्यक्ति-विशेष को बिलिंग स्टेटमेंट उपलब्ध कराएगा जो उस राशि को, जिसके लिए व्यक्ति-विशेष FAP के लिए पात्र के रूप में देखभाल के लिए देनदार है और इस राशि का निर्धारण कैसे किया गया है, इसको बताता है। इस प्रकार का बिलिंग स्टेटमेंट यह भी बताएगा कि व्यक्ति-विशेष देखभाल के लिए AGB के संबंध में जानकारी कैसे प्राप्त कर सकता है।
- व्यक्ति-विशेष को ऐसी कोई भी राशि लौटाएगा जिसे उसने देखभाल के लिए भुगतान किया है और जो उस राशि से अधिक है जिसके उत्तरदायित्व का निर्धारण FAP के लिए पात्र व्यक्ति के रूप में उसके वास्ते व्यक्तिगत तौर पर किया गया है।
- इस प्रकार के भुगतान को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति-विशेष के विरुद्ध की गई किसी भी असामान्य वसूली संबंधी कार्यों (एक्स्ट्राऑर्डिनरी कलेक्शन एक्शंस) को रद्द करने के लिए उचित रूप से उपलब्ध सभी उपायों को करेगा।

यदि कोई व्यक्ति FAP आवेदन प्रस्तुत करता है और नेशनवाइड चिल्ड्रेन्स द्वारा इसका निर्णय किए जाने से कि क्या वह व्यक्ति FAP के लिए पात्र है, से पहले ही वह व्यक्ति मेडिकेड पात्रता के लिए आवेदन कर देता है, तो नेशनवाइड चिल्ड्रेन्स इस संबंध में निर्णय को तब तक के लिए स्थगित कर देगा और व्यक्ति-विशेष के विरुद्ध असामान्य वसूली संबंधी कार्यों (एक्स्ट्राऑर्डिनरी कलेक्शन एक्शंस) में नहीं लगेगा जब तक कि व्यक्ति-विशेष का मेडिकेड आवेदन पूरा और प्रस्तुत नहीं हो जाता तथा व्यक्ति-विशेष की मेडिकेड पात्रता के बारे में कोई निर्णय नहीं ले लिया जाता।

<u>नेशनवाइड चिल्ड्रेन्स में आपातकालीन और चिकित्सकीय दृष्टि से आवश्यक अन्य देखभाल प्रदान करने वाले प्रदाताओं की सूची</u>

जो प्रदाता नेशनवाइड चिल्ड्रेन्स में आपातकालीन और चिकित्सकीय रूप से आवश्यक अन्य देखभाल सेवा उपलब्ध कराते हैं, उनका ब्योरा देने वाली एक सूची को और उनकी पेशेवर सेवाएँ नेशनवाइड चिल्ड्रेन्स के FAP द्वारा कवर की जाती हैं या नहीं, इसे http://www.nationwidechildrens.org/financial-assistance पर देखा जा सकता है या संपर्क सूचना के अंतर्गत नीचे सूचीबद्ध विभागों से संपर्क करके एक काग़ज़ी प्रति (पेपर कॉपी) प्राप्त की जा सकती है।

<u>वित्तीय सहायता नीति, वित्तीय सहायता नीति के सरल भाषा में सारांश और वित्तीय सहायता आवेदन की उपलब्धता</u>

वेब साइट एक्सेस
https://www.nationwidechildrens.org/your-visit/billing-and-insurance/financial-assistance
काग़ज़ी प्रतियाँ

- अनुरोध किए जाने पर रोगी या उत्तरदायी पक्ष के लिए निःशुल्क उपलब्ध है।
- कागज़ी प्रतियाँ नेशनवाइड चिल्ड्रेन्स के मुख्य परिसर (आपातकालीन कक्ष सहित) और ऑफ़साइट लोकेशंस (स्थानों) पर किसी भी भर्ती या पंजीकरण वाले क्षेत्र में दी जाती हैं।
- अनुरोध करने पर रोगियों और/या उनके माता-पिता को पत्र और वित्तीय सहायता संबंधी आवेदन-पत्र डाक द्वारा भेज दिए जाते हैं।
- सभी बिलिंग स्टेटमेंट्स में स्टेटमेंट के पीछे वित्तीय सहायता आवेदन-पत्र के साथ उस विभाग के लिए संपर्क जानकारी होती है, जो आवेदन के लिए सहायता प्रदान कर सकता है।

अस्पताल के फैसिलिटी (सुविधा केंद्र) वाले रोगियों को उपलब्ध कराई गई सूचना और जानकारी

- नेशनवाइड चिल्ड्रेन्स के मुख्य परिसर (आपातकालीन कक्ष सहित) और ऑफ़साइट लोकेशंस (स्थानों) पर किसी भी भर्ती या पंजीकरण वाले क्षेत्र में रोगियों या जिम्मेदार पक्ष को सलाह देने के लिए वित्तीय सहायता की उपलब्धता के संकेत-चिह्न लगे होते हैं ।
- वे स्वचालित टेलीफ़ोन कॉल्स, जिन्हें दूसरा बिलिंग स्टेटमेंट जारी किए जाने के बाद वित्तीय सहायता की पेशकश करने के लिए किया जाता है।
- नेशनवाइड चिल्ड्रेन्स के वित्तीय सलाहकार, वित्तीय सहायता की आवश्यकता वाले रोगियों को, उनके कमरों या क्लिनिकों में विज़िट करते हैं।

व्यापक समुदाय को संसूचित करना और सूचना देना

- FAP, FAP का सरल भाषा में सारांश और वित्तीय सहायता आवेदन ये सभी www.NationwideChildrens.org पर पाए जा सकते हैं।
- नेशनवाइड चिल्ड्रेन्स FAP के सरल भाषा में सारांश और वित्तीय सहायता आवेदन पत्र को आवधिक रूप से फ्रैंकलिन काउंटी संघीय सरकार द्वारा योग्य माने गए स्वास्थ्य केंद्रों को और उन समुदाय-आधारित चिकित्सकों को भी उपलब्ध करता है, जो नेशनवाइड चिल्ड्रेन्स के मेडिकल स्टाफ़ के सदस्य हैं ताकि इन प्रदाताओं के रोगियों के लिए ये प्रलेख (दस्तावेज़) जल्दी उपलब्ध हों।

अनुवादित दस्तावेज़

- वित्तीय सहायता नीति, वित्तीय सहायता आवेदन-पत्र, और FAP की सरल भाषा में सारांश सीमित अंग्रेजी प्रवीणता (LEP) वाले भाषा समूह जो कि फ्रैंकलिन काउंटी की 1,000 या 5 प्रतिशत से कम आबादी का गठन करता है या ऐसे अन्य लोगों, जिनके नेशनवाइड चिल्ड्रेन्स द्वारा प्रभावित होने की संभावना बहुत अधिक है, द्वारा बोली जाने वाली भाषा में उपलब्ध होंगे। रोगी खातों (पेशंट अकाउंट्स) के निदेशक वार्षिक आधार पर भाषा संबंधी जरूरतों की समीक्षा करने और आवश्यकतानुसार दस्तावेज़ों के अनूदित संस्करण उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होंगे।

संपर्क सूचना

सलाहकार	स्थान	फ़ोन
नेशनवाइड चिल्ड्रेन्स वित्तीय सलाहकार	भर्ती कार्यालय 700 चिल्ड्रेन्स ड्राइव या पहले से तय मुलाकात के जरिए नेशनवाइड चिल्ड्रेन्स की किसी भी स्थानों पर	**(614) 722-2070**
नेशनवाइड चिल्ड्रेन्स ग्राहक सेवा	रोगी अकाउंट्स केवल फ़ोन कॉल्स	**(614) 722-2055**

नेशनवाइड चिल्ड्रेन्स हॉस्पिटल के निदेशक मंडल की
वित्त और लेखा-परीक्षा समिति द्वारा
नवम्बर ___, 2020 को अनुमोदित:

____ ____________________

ल्यूक ब्राउन
मुख्य वित्तीय अधिकारी

दिनांक